केंद्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /CIC Bhawan
Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

दिनांक: 19.11.2018

[redacted]

विषय: सूचना के अधिकार की धारा (६) के अंतर्गत आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में 17.10.2018 को आर टी आई अनुभाग से प्राप्त हुआ के माध्यम से वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित है:-

लंबे अवकाश के कारण सूचना देरी से देने के लिए जन सूचना अधिकारी क्षमा प्रार्थी है।

2. ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है ।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग में हिन्दी भाषा में कार्यों संबंधी प्रगति हेतु मार्च 2017 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया । उसके बाद समिति की तीन बैठकें भी सम्पन्न हो चुकी है जिसमें हिन्दी में अधिक-से-अधिक कार्य करने पर बल दिया गया। यह भी निर्देश जारी किया गया कि हिन्दी में आए सभी पत्रों का जबाव हिन्दी में देना है।
* साथ ही पिछले वर्ष 2017 से नियमित रूप से हिन्दी सप्ताह मनाया जा रहा है । इस दौरान हिन्दी-निवंध प्रतियोगिता भी करवाया जाता है एवं आयोग के कर्मचारियों के हिन्दी कार्य का मूल्यांकन कर पुरस्कार एवं प्रशास्ति पत्र दिया जाता है।
4. आयोग में कोई हिन्दी अनुभाग नहीं है।

उपरोक्त जवाब के विरूद्ध, यदि कोई प्रथम अपील है, इसकी प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर.के.सिंह अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती है।

सविता 19.11.18
(सविता तलूजा)
अनुभाग अधिकारी एवं जन सूचना

प्रतिलिपि: केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL
पंजीकरण संख्या: CICOM/R/2018/01009/1

19/11/18

o/c

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
19 NOV 2018
D. No.
Initials